विषय :– माननीय न्यायमूर्ति श्री अखिलेश चन्द्र (से0नि0), अध्यक्ष, बिहार शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 18.11.2017 / 02.12. 2017 को संपन्न बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

(i) श्री आर0 के0 महाजन, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग –सह– सदस्य सचिव, बिहार शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति,

(ii) डा0 विजय प्रकाश सिंह, भारतीय चिकित्सा परिषद के मनोनीत सदस्य,

(iii) श्री आशीष रोहतगी–चार्टड एकाउन्टेंट, मनोनीत सदस्य,

(iv) डा0 राकेश वर्मा – प्राचार्य, पटना लॉ कॉलेज, पटना, मनोनीत सदस्य,

2. बैठक में कार्यसूचिनुसार निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

Agenda-1

1. Confirmation of the proceeding of the previous meeting dated 24.10.2017

(i) सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 24.10.2017 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।

Agenda-2

2. Compliance report of earlier till date.

(i) सभी चिकित्सा एवं दंत महाविद्यालयों के द्वारा समर्पित विवरणी में पायी गयी त्रुटियों का निराकरण हेतु एक format भेजते हुए संबंधित कॉलेजों से 10 दिनों के अंदर प्रतिवेदन विहित प्रपत्रों में प्राप्त करने का निदेश दिया गया। इस संदर्भ में सभी चिकित्सा एवं दंत महाविद्यालयों को Email एवं पत्र के माध्यम से Format ~~भेजी~~ भेजा जाय।

(अनुपालन – उप निदेशक (चि0शि0, स्वास्थ्य विभाग)

पत्रांक – 28/शि0शु0नि0स0
07/12/17

Agenda-3

3. Approval of expenditure till date.

(i) बिहार शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति में अब तक हुए व्यय को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

Agenda-4

4. Any other point or points under the permission of the Honorable Chairman.

(i) बैठक में यह निर्णय लिया गया कि श्री आशीष रोहतगी चाटर्ड एकाउन्टेन्ट एवं डा0 प्रभात कुमार, परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग को उत्तर प्रदेश (लखनऊ), उड़िसा एवं पश्चिम बंगाल (कोलकत्ता) के शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति के यहाँ जाकर शिक्षण–शुल्क निर्धारण की विवरणी प्राप्त करें। इनको आवश्यकतानुसार वायु एवं सड़क मार्ग से आने जाने एवं रहने/खाने के व्यय की राशि विपत्र के आधार पर बिहार शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति द्वारा भुगतान व्यय किया जायेगा।

(अनुपालन– डा0 प्रभात कुमार, परीक्षा नियंत्रक, श्री आशीष रोहतगी, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट)

(ii) बैठक में श्री राजीव कुमार, लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग द्वारा Out sourcing के माध्यम से कार्यरत कर्मियों के मानदेय के संदर्भ में BMSICL के पत्रांक 2190 दिनांक 18.09.2017 के आधार पर Tax और GST लगा कर विपत्र प्रस्तुत किया गया हैं। (उपरोक्त पत्र समिति के संज्ञान में पूर्व में नहीं लाया गया था, यदि विपत्र के अनुसार भुगतान किया जाता है तो स्वीकृत बजटीय सीमा से अधिक होता प्रतीत होता है) **Tax और GST के संदर्भ में** आन्तरिक वित्तीय सलाहकार स्वास्थ्य विभाग एवं प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग का मंतव्य अविलम्ब प्राप्त

पत्रांक – 28/बि०शि०नि०स०
07/12/17

करने का निदेश दिया गया, क्योंकि कार्यरत कर्मियों को तीन माह से मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है।

(अनुपालन – श्री राजीव कुमार, लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग)

(iii) एक कम्प्यूटर दक्ष –सह– लेखानुभवी कार्यालय सहायक को शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति में रखने का निर्णय बैठक में लिया गया।

(अनुपालन – उप निदेशक (चि0शि0, स्वास्थ्य विभाग)

अगली बैठक की तिथि 30.12.2017 के पूर्वाह्न 11 बजे निर्धारित की गयी।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

(आर0 के0 महाजन)
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य –सह– सचिव
बिहार शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

(अखिलेश चन्द्र)
माननीय न्यायमुर्त्ति (से0नि0) –सह– अध्यक्ष
बिहार शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 28........ पटना, दिनांक 07/12/17
प्रतिलिपि :– सभी संबंधित पदाधिकारी/सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07.12.17.
(उप निदेशक (चि0शि0)
–सह– प्रभारी पदाधिकारी
शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति।